नागरिक चार्टर

भारी उद्योग मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली

विजन:

मंत्रालय के अधीन आधुनिक, गुणवत्तायुक्त और मजबूत ऑटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र तथा आत्मनिर्भर और विकासोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम स्थापित करना।

मिशन: भारी उद्योग मंत्रालय लाभ कमाने वाले सार्वजनिक उपक्रमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत रुग्ण और घाटे में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों का पुनर्गठन और पुनरुद्धार करने का प्रयास करता है। भारी उद्योग मंत्रालय राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (एनएटीआरआईपी) के माध्यम से अत्याधुनिक अनुसंधान और परीक्षण अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से वैश्विक ऑटोमोटिव उत्कृष्टता का अपना विजन प्राप्त करना चाहता है। भारी उद्योग मंत्रालय ऑटो, भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत और पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को आवश्यक सहायता प्रदान करके भी अपने विजन को प्राप्त करना चाहता है।

सेवाएँ: मंत्रालय नागरिकों को कुछ सेवाएँ प्रदान करता है जैसे शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को जीएसटी रियायत प्रमाणपत्र जारी करना, शिकायतों का निवारण और सूचना का अधिकार के माध्यम से जानकारी प्रदान करना। मंत्रालय अपने अधीन विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों और स्वायत्त निकायों, औद्योगिक संघों, सांविधिक निकायों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघराज्य क्षेत्र सरकारों के साथ भी बातचीत करता है।

<u>सेवाएँ/लेनदेन:</u>

नागरिकों के लिए सेवाएं:

क्र. सं.	सेवाएं	महत्व	संबंधित व्यक्ति का नाम, ई-मेल और मोबाइल नंबर	प्रक्रम/प्रक्रिया	जरूरी कागज़ात	फीस
1.	ऑनलाइन पोर्टल **dhigecs.heavyindustry.gov.in** के माध्यम से आर्थोपेडिक शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन खरीद के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करना।	10.0	श्री रजनेश सिंह, निदेशक ईमेल: rajnesh.singh02@gov.in दूरभाष संख्या- 011-23063707	1. जीएसटी छूट प्रमाणपत्र स्कीम पोर्टल पर आवेदन की ऑनलाइन प्राप्ति। 2. पोर्टल पर अपलोड किए गए आवेदन और दस्तावेजों की जांच। 3. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति। 4. प्रमाणपत्र का ऑनलाइन जारी होना।	1. विधिवत भरी गई सामान्य जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करनी होगी। 2. चिकित्सा प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 3. आधार कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 4. पैन कार्ड ऑनलाइन अपलोड करना होगा। 5. निर्धारित प्रारूप के अनुसार स्व-घोषणा	लागू नहीं

					ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।	
2.	शिकायतों का निवारण	10.0	श्री मदन पाल सिंह, संयुक्त निदेशक ईमेल: madanpal.singh@nic.in दूरभाष संख्या 011-23063321	1. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त शिकायत। 2. संबंधित सीपीएसई/भारी उद्योग विभाग में अनुभाग को हस्तांतरित करना। 3. संबंधित अधिकारियों से इनपुट प्राप्त करना। 4. संबंधित व्यक्ति को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजना। 5. सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर अद्यतन करना।	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	आरटीआई आवेदन (यह सेवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है)	10.0	भारी उद्योग मंत्रालय में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) / अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।	1. सीपीआईओ के पास आरटीआई के तहत आवेदन की प्राप्ति या अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील। 2. यदि आवश्यक हो तो धारा 6(3) के तहत संबंधित विभाग/सीपीएसई को आवेदन का स्थानांतरण। 3. धारा 5(4) के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों/सीपीआईओ को आवेदन अग्रेषित करना। 4. आवेदक को सूचना भेजना। 5. अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील का निपटान।		पीएंडएओ, एमएचआई या डीडीओ, एमएचआई के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/भारतीय पोस्टल ऑर्डर या रसीद के विरुद्ध नकद। प्रत्येक आरटीआई आवेदन के लिए 10/- रुपये और गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक के लिए कोई शुल्क नहीं। अनुरोधित दस्तावेजों की प्रतियों के लिए प्रति पृष्ठ 2/- रुपये या दस्तावेज की वास्तविक लागत के हिसाब से शुल्क।

						अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं। प्रत्येक बाद के घंटे या उसके भाग के लिए 5/- रुपये शुल्क।
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों/स्वायत्त निकायों/औद्योगिक संघों आदि के साथ लेन-देन:						
4.	प्रशासनिक वित्तीय एवं अन्य प्रकृति के प्रस्ताव पर निर्णय	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। यदि आवश्यक हो तो कैबिनेट नोट आदि का मसौदा तैयार करना 2. अंतर-मंत्रालयी परामर्श, यदि आवश्यक हो 3. सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना 4. अंतिम आदेश जारी करना।	प्रस्ताव के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने होंगे।	लागू नहीं
5.	पूंजीगत वस्तु क्षेत्र अर्थात्‌ भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत और ऑटो क्षेत्र के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में 'परियोजना आयात स्कीम' के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें।	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन की प्राप्ति। 2. आवेदन की जांच। 3. तकनीकी विंग की सलाह प्राप्त करना। 4. संचार जारी करना।	1. औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन की प्रति। 2. प्लांट लेआउट। 3. आयात की जाने वाली मशीनरी/उपकरण का विवरण। 4. परियोजना की स्थापना के लिए राज्य सरकार/अन्य एजेंसियों से प्राप्त मंजूरी की प्रतियां। (आवेदन के विवरण/प्रारूप और आवश्यक दस्तावेजों के लिए, कृपया वेबसाइट देखें: www.dhi.nic.in)	लागू नहीं
6.	सीपीएसई, एमएचआई के तहत स्वायत्त निकायों और औद्योगिक संघों से प्राप्त संदर्भों पर निर्णय: क) भारी विद्युत इंजीनियरिंग ख) भारी इंजीनियरिंग और	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है:	1. प्रस्ताव की जांच। 2. अंतर-मंत्रालयी परामर्श, यदि आवश्यक हो	लागू नहीं	लागू नहीं

	मशीन टूल्स ग) ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग		www.dhi.nic.in	3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना 4. अंतिम आदेश जारी करना।		
7.	फेम-इंडिया के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन।	10.0	श्री आनंद कुमार सिंह ईमेल: aksingh5.ofb@ofb.gov.in दूरभाष संख्या 011-23063176	1. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से ऑनलाइन दावों की प्राप्ति। 2. प्रस्तुत दावों की जांच। 3. इस उद्देश्य के लिए गठित समिति का अनुमोदन। 4. पीएफएमएस मोड का उपयोग करके एमएचआई/एनएबी द्वारा दावों को जारी करना।	1. मूल उपकरण विनिर्माता का पंजीकरण। 2. परीक्षण एजेंसी से परीक्षण प्रमाणपत्र। 3. मॉडलों का पंजीकरण। 4. निर्धारित प्रोफार्मा में विधिवत हस्ताक्षरित ग्राहक की पावती। 5. व्यक्तिगत भागीदारी एजेंसियों के लिए पैन कार्ड की प्रति, सरकारी विभागों/रक्षा आपूर्ति से खरीद आदेश, जैसा भी मामला हो। 6. प्रतिपूर्ति के लिए संबंधित मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करना।	लागू नहीं
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/सांविधिक संगठनों के साथ लेन-देन:						
8.	नीतिगत मामलों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/सांविधिक संगठनों से प्राप्त संदर्भों तथा परियोजना विकास प्रकोष्ठ एवं निवेश से संबंधित व्यक्तिगत संदर्भों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना।	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. संबंधित प्राधिकरणों/सीपीएसई से इनपुट प्राप्त करना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 4. टिप्पणियां प्रस्तुत करना।	लागू नहीं	लागू नहीं
9.	प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में डीजीएफटी को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना क) शुल्क छूट योजना के तहत कच्चे माल/घटक का आयात, ख) प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. तकनीकी विंग की सलाह प्राप्त करना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 4. अंतिम आदेश जारी करना।	लागू नहीं	लागू नहीं

10.	सीपीएसई की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मुद्दों को उठाना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों पर सीपीएसई के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना।	10.0	निदेशक / प्रभारी उप सचिव विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.dhi.nic.in	1. प्रस्ताव की जांच। 2. संबंधित सीपीएसई/अन्य प्राधिकरणों को संदर्भ देना। 3. सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन 4. टिप्पणियां प्रस्तुत करना।	लागू नहीं	लागू नहीं

सेवा मानकों की आवश्यकता:

नागरिकों के लिए सेवा:

क्र. सं.	सेवाएं	सेवा भार	सफलता के संकेतक	सेवा मानक	इकाई	महत्व	डेटा क
1.	ऑनलाइन पोर्टल dhigecs.heavyindustry.gov.in के माध्यम से आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन की खरीद के लिए जीएसटी रियायत प्रमाण पत्र जारी करना	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य दिवस	10.0	रिकॉर्ड
2.	शिकायतों का निवारण	10.0	स्वीकृति जारी करना	02	कार्य दिवस	2.0	रिकॉर्ड
			आवेदन का ऑनलाइन हस्तांतरण	02	कार्य दिवस	2.0	
			कार्रवाई रिपोर्ट भेजना	30	कार्य दिवस	4.0	
			अपील का निपटान (यदि कोई हो)	30	कार्य दिवस	2.0	
	आरटीआई आवेदन (यह सेवा आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की जाती है)	10.0	आवेदन को अन्य विभागों में स्थानांतरित करना	05	कार्य दिवस	2.0	
			संचार जारी करना अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करना	30	कार्य दिवस	5.0	
3.			प्रथम अपील का निपटान	30	कार्य दिवस	3.0	रिकॉर्ड

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों/स्वायत्त निकायों/औद्योगिक संघों आदि के साथ लेन-देन:

4.	प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य प्रकृति के प्रस्तावों पर निर्णय	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य-दिवस	10

5.	पूंजीगत वस्तु क्षेत्र अर्थात भारी इंजीनियरिंग, भारी विद्युत और ऑटो क्षेत्र के लिए आयातित मशीनरी और उपकरणों के संबंध में 'प्रोजेक्ट आयात स्कीम' के अंतर्गत सीमा शुल्क की रियायती दर के लिए सीमा शुल्क विभाग को सिफारिशें।	10.0	पूर्ण आवेदन प्राप्ति की तारीख से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य-दिवस	10
6.	सीपीएसई, एमएचआई के तहत स्वायत्त निकायों और औद्योगिक संघों से प्राप्त संदर्भों पर निर्णय: क) भारी विद्युत इंजीनियरिंग ख) भारी इंजीनियरिंग और मशीन टूल्स ग) ऑटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग	10.0	पूर्ण प्रस्ताव / संदर्भ प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	90	कार्य-दिवस	10
7.	फेम-इंडिया के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव/संदर्भ प्राप्ति की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	30	कार्य-दिवस	10.
केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/सांविधिक संगठनों के साथ लेन-देन:						
8.	नीतिगत मामलों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/सांविधिक संगठनों से प्राप्त संदर्भों तथा परियोजना विकास प्रकोष्ठ एवं निवेश से संबंधित व्यक्तिगत संदर्भों पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना।	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य-दिवस	10.0
9.	प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशालय को तकनीकी टिप्पणियां प्रस्तुत करना क) शुल्क छूट स्कीम के तहत कच्चे माल/घटक का आयात, ख) प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय।	30	कार्य-दिवस	10.0
10.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए अन्य प्राधिकरणों के साथ मुद्दों को उठाना तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों/अन्य ग्राहकों से प्राप्त संदर्भों पर सीपीएसई के साथ	10.0	पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने और टिप्पणियां प्रस्तुत करने की तिथि से लिया गया अधिकतम समय	60	कार्य-दिवस	10.0

	अनुवर्ती कार्रवाई करना।					

सेवा प्राप्तकर्ताओं से सांकेतिक अपेक्षाएँ:

क्र.सं	सेवा प्राप्तकर्ताओं से अपेक्षाएँ
1.	प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य मुद्दों पर प्रस्ताव मानदंडों के अनुसार होना चाहिए।
2.	भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों / औद्योगिक संघों / स्वायत्त निकायों से नियमित फीडबैक
3.	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों/औद्योगिक संघों आदि द्वारा रिपोर्ट/रिटर्न का समय पर प्रस्तुतीकरण।
4.	अस्थि-विकलांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले व्यक्तियों द्वारा वाहन खरीदने के लिए वस्तु एवं सेवा कर रियायत प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दस्तावेजों के साथ पूरा आवेदन पत्र।
5.	भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों/संस्थानों/औद्योगिक संघों आदि से इनपुट/तकनीकी सलाह मांगने वाले प्राप्त प्रस्ताव स्वत: पूर्ण और सभी प्रकार से पूर्ण होने चाहिए।
6.	फेम-इंडिया के अंतर्गत मांग प्रोत्साहन के संबंध में पंजीकृत मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के अपेक्षित विवरण के साथ पूरा आवेदन पत्र।

शिकायत निवारण तंत्र:

लोक शिकायत के लिए नोडल अधिकारी।

श्री मदन पाल सिंह,
संयुक्त निदेशक
भारी उद्योग मंत्रालय,
उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011
दूरभाष: 011- 23062515,
ई-मेल : madanpal.singh@nic.in

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

सेवा प्राप्तकर्ता शिकायत पोर्टल http://pgportal.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

शिकायतकर्ता से अपेक्षा:

1. शिकायत का विषय स्पष्ट होना चाहिए तथा सभी प्रासंगिक ब्यौरा प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
2. शिकायतकर्ता का पूरा पता और टेलीफोन नंबर, ईमेल पता दर्शाया जाना चाहिए।
3. यदि विषय-वस्तु किसी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम/स्वायत्त निकाय के अनन्य क्षेत्राधिकार में है, तो शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकारी को संबोधित की जा सकती है।

प्रतिक्रिया की समय-सीमा:

1. सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की ई-पावती - तत्काल।
2. अतिरिक्त जानकारी के लिए संचार, यदि आवश्यक हो – 15 कार्य दिवसों के भीतर।
3. कार्रवाई रिपोर्ट – 30 कार्य दिवसों के भीतर।

हितधारकों/ग्राहकों की सूची:

क्र.सं	**हितधारक / ग्राहक विवरण**
1.	अस्थि-विकलांगता (पीडब्ल्यूडी) वाले व्यक्ति कार की खरीद पर वस्तु एवं सेवा कर रियायत की मांग कर रहे हैं।
2	पीड़ित व्यक्ति भारी उद्योग मंत्रालय/आरटीआई आवेदकों को सार्वजनिक शिकायतें भेज रहे हैं
3.	'प्रोजेक्ट आयात स्कीम' के अंतर्गत रियायती दर पर सीमा शुल्क की मांग करने वाली कंपनियां/फर्म।
4.	भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम और स्वायत्त निकाय।
5.	फेम स्कीम चरण II के अंतर्गत पंजीकृत मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) (भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का तीव्र अंगीकरण)
क्र.सं	**हितधारक / ग्राहक विवरण**
6.	औद्योगिक संघ: i. ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, (एसीएमए) ii. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) iii. भारतीय इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता संघ, (आईईईएमए) iv. औद्योगिक क्षेत्र निर्माता संघ, (आईएएमए) v. ट्रैक्टर निर्माता संघ, (टीएमए) vi. भारतीय मशीन टूल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, (आईएमटीएमए) vii. भारतीय वस्त्र सहायक उपकरण एवं मशीनरी निर्माता संघ, (आईटीएएमएमए) viii. टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (भारत), (टीएमएमए) ix. भारतीय मुद्रण पैकेजिंग एवं संबद्ध मशीनरी निर्माता संघ, (आईपीएएमए) x. प्रोसेस प्लांट एंड मशीनरी एसोसिएशन, (पीपीएमएआई) xi. भारतीय उद्योग परिसंघ, (सीआईआई) xii. एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, (एसोचैम) xiii. भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की)

7.	केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, गैर-नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक प्रशासन विभाग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय, उद्योग संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संवर्धन विभाग, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, रेल मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र विभाग, पत्र सूचना कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) आदि।
8.	राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

<u>भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों की सूची:</u>

क्र.सं	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों का नाम और पता
(i)	एंड्रयू यूल एंड कंपनी, यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता -700001
(ii)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, एशियाई खेल गांव, नई दिल्ली-110049
(iii)	बीबीजे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, 27, आरएन मुखर्जी रोड, कोलकाता-700001*
(iv)	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड, बेडराडका पोस्ट, कासरगोड-671124, केरल
(v)	भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद-211010
(vi)	रिचर्डसन एंड क्रुडास लिमिटेड, बायकुला आयरन वर्क्स, पीबी नं.4503, सर जेजे रोड, मुंबई-400 008
(vii)	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिला। बेल्लारी, तुंगभद्रा बांध - 583225
(viii)	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड, 5वीं मंजिल, कांकरिया सेंटर, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता 700071
(ix)	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर-5, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(x)	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (आई) लिमिटेड, कोर-3, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
(xi)	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूबी बिल्डिंग, 75-सी, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016
(xii)	नागालैंड पल्प एंड पेपर कॉर्पोरेशन, पीओ पेपर नगर, जिला मोकोकचुंग, नागालैंड-798623
(xiii)	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड, न्यूजप्रिंट नगर, जिला कोट्टायनम केरल – 686616

(xiv)	एचएमटी लिमिटेड 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560 032
(xv)	एचएमटी(आई) लिमिटेड, 59 बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560032
(xvi)	एचएमटी बियरिंग्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560 032
(xvii)	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560 032
(xviii)	एचएमटी वॉचेस लिमिटेड, 59, बेल्लारी रोड, बेंगलुरु-560032
(xix)	एचएमटी चिनार वॉचेस, ज़ैनकोट, श्रीनगर -190017
(xx)	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, 9, एल्गिन रोड, कोलकाता-700020
(xxi)	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017
(xxii)	सांभर साल्ट्स लिमिटेड, बी-427, प्रधान मार्ग, मालविया नगर, जयपुर-302017
(xxiii)	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल), 2, कनकपुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर-302012, राजस्थान
(xxiv)	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, प्लांट प्लाजा रोड, पोस्ट ऑफिस धुर्वा, रांची – 834004
(xxv)	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, इंदु नगर, ऊटाकामुंड - 643005 तमिलनाडु
(xxvi)	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड, झालावाड़ रोड, कोटा-5, राजस्थान-324005
(xxvii)	नेपा लिमिटेड, नेपा नगर-450 221, मध्य प्रदेश
(xxviii)	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, सरोजिनी नगर, पीओ बॉक्स नंबर 1, लखनऊ-226008
(xxix)	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड, यूल हाउस, 8, डॉ. राजेंद्र प्रसाद सारणी, कोलकाता-700001

जारी करने की तिथि: / /2021

अगली चार्टर समीक्षा तिथि: / /20